दिनांक 27.05.2026 स्वच्छ एवं सुंदर भिलाई

अवैध रूप से निर्मित दुकान को निगम ने किया बेदखल

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्रांतर्गत नंदनी रोड ओवर ब्रिज के बगल में अवैध रूप से निर्मित दुकान पर निगम प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई। निगम को प्राप्त शिकायत एवं स्थल निरीक्षण के दौरान पाया गया कि अल्ताफ द्वारा बिना अनुमति नया दुकान निर्माण किया गया था, जिससे मार्ग व्यवस्था प्रभावित हो रही थी।

निगम आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय के निर्देशानुसार तोड़फोड़ दस्ता एवं संबंधित जोन की टीम मौके पर पहुंची और अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान अवैध रूप से बनाए गए दुकान को निगम अमले की सहायता से हटाया गया। निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बिना वैधानिक अनुमति के किए गए किसी भी प्रकार के निर्माण एवं अतिक्रमण पर लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। नागरिकों से अपील की गई है कि अवैध रूप से दुकान को स्थापित करने से पूर्व निगम से आवश्यक अनुमति अवश्य प्राप्त करें, अन्यथा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई के दौरान निगम के अधिकारी, तोड़फोड़ दस्ता, राजस्व विभाग उपस्थित रहे।

संलग्न-फोटो जनसम्पर्क अधिकारी